

22/1/25

पञ्चावली पेशा दुर्क, वकील उषयपत्र अधिवक्ता/वकील  
वादी ने आवेदन 23 नियम 1, 2 का प्रार्थना पत्र पेश  
किया। वकील वादी ने प्रा. पत्र पर निवेदन किया  
कि वादी/वा. सं. 1 से 5 तक मिलकर प्रतिवादी/वा. के  
प्रकार में आ जाये हैं। अतः वाद को निरस्त किया जाना  
आवश्यक है साथ ही तथा वाद पेश करने की ज़रूरत  
ही नहीं। वकील प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र पर  
No objection किया। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत  
प्रा. पत्र आवेदन 23 नियम 1, 2 स्वीकार कर वाद विद्वेष  
किया जाता है तथा लेख जारी, शरीफ अली, आतुम  
सफाई व नूतन वा. के तथा वाद पेश करने के  
अधिवक्ता को सुरक्षित रखा जाता। पञ्चावली केवल  
सुमाए लेख नैका से काम लें।

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिवक्ता भूपालसागर

